अपर डार्बी में कोई छोटा बिजनेस कैसे शुरू किया जाये

यह मार्गदर्शिका उन चीजों के बारे में विवरण प्रदान करती है जिनको अपर डार्बी में कोई छोटा बिजनेस शुरू करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिये। इस मार्गदर्शिका में उन कार्यविधियों, अधिनियमों, और लाइसेंसों के बारे में जानकारी दी गयी है जो हर छोटे बिजनेस को प्रभावित करते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों को बेचने या उनका व्यापार करने वाले बिजनेस के लिए आवश्यक अतिरिक्त लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग सम्बंधी जानकारी भी इसमें शामिल की गयी है।

कृपया ध्यान रखें कि यह एक मार्गदर्शिका है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप वर्तमान कार्यविधियों का अनुपालन कर रहे हैं, आपको अपने टाउनशिप के कार्यालयों (जिनका विवरण इस मार्गदर्शिका में दिया गया है) से सम्पर्क करना चाहिये।

अधिनियमों को समझना

सभी बिजनेसों के लिए अधिनियमों, जो कि सरकारी नियम हैं, का पालन करना आवश्यक है। आप जिस बिजनेस को खोलने का इरादा रखते हैं उस पर निर्भर करते हुए ये अधिनियम अलग-अलग हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बिजनेस मालिक अपने ग्राहकों और अपने कारोबारी निवेश की सुरक्षा करने के लिए इन अधिनियमों को समझें और उनका अनुपालन करें।

सभी बिजनेसों के लिए

जोनिंग सम्बन्धी अधिनियम विशेष रूप से इस बारे में बताते हैं कि किसी विशेष स्थान में किस प्रकार के बिजनेस किये जा सकते हैं, और ये संकेतों तथा पार्किंग़ के बारे में नियम निर्धारित करते हैं।

बिल्डिंग कोड सम्बन्धी अधिनियमों के लिए यह आवश्यक है कि बिजनेस सम्पत्ति के अन्दर ढाँचा और जगह दोनों सुरक्षित हों और वे ग्राहकों तथा कर्मचारियों के लिए सुलभ हों। बिल्डिंग कोड विशेष रूप से इस बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, हीटिंग, और आग से सुरक्षा सम्बन्धी प्रणालियां किस तरह लगायी जानी चाहियें और उनका रखरखाव किस तरह किया जाना चाहिये।

ऐसे बिजनेसों के लिए जो खाद्य पदार्थ बेचते, परोसते, और/या तैयार करते हैं (जैसे कि ग्रोसरी, कॉफी शॉप्स, डेलिज, रेस्तरां, कैटरर्स)

बीमारी को रोकने के लिए युनाइटेड स्टेट्स में खाद्य प्रतिष्ठान अत्यंत विनियमित हैं।
खाद्य प्रतिष्ठान सम्बन्धी अधिनियम विशेष रूप से इस बारे में बताते हैं कि खाद्य पदार्थों का भंडारण, उनकी तैयारी के स्थान, और उपकरण किस तरह स्थापित किये या लगाये जाने चाहियें, और पानी की आपूर्ति तथा साफ-सफाई की व्यवस्था किस तरह से की जानी चाहिये और उनका रखरखाव किस प्रकार किया जाना चाहिये।

महत्वपूर्ण संसाधन

और फोन नम्बर

अपर डार्बी लाइसेंसेज एण्ड इंसपेक्शन (एल एण्ड आई) डिपार्टमेंट
100 Garrett Road, Room 109
Upper Darby, PA 19082
फोन: 610-734-7613
www.upperdarby.org/licenses-inspection.html
अपर डार्बी में छोटा बिजनेस खोलने के लिए आपका प्राथमिक सम्पर्क

अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट
100 Garrett Road, Room 306
Upper Darby, PA 19082
फोन: 610-734-7640
www.upperdarby.org/health.html
अगर आपके बिजनेस में खाद्य पदार्थ बेचे, परोसे, और/या तैयार किये जायेंगे, तो अपने बिजनेस में निवेश करने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें।

अपर डार्बी फाइनैंस डिपार्टमेंट
बिजनेस टैक्सेज एण्ड लाइसेंसेज
100 Garrett Road, Room 102
Upper Darby, PA 19082
फोन: 610-734-7618
www.upperdarby.org/local-taxes.html
फाइनैंस डिपार्टमेंट आपके बिजनेस को रजिस्टर कराने और और टाउनशिप के बिजनेस टैक्सों को समझने में आपकी मदद कर सकता है।

नया बिजनेस शुरू किये जाने के समय उठाये जाने वाले कदम

कदम 1: योजना बनाना

पृष्ठभूमि सम्बन्धी रिसर्च करें

- सम्भावी स्थान (लोकेशनों) की पहचान करें
- कानूनों की जानकारी प्राप्त करें
- कैश फ्लो यानि आय की प्राप्ति व उसके खर्च का अनुमान लगायें
- बिजनेस प्लान ड्राफ्ट करें
- उपकरण और थोक सामान के विक्रेताओं का पता लगायें
- बीमा लेने के विकल्पों का पता लगायें

स्थानीय टाउनशिप के कार्यालयों के साथ अनौपचारिक बैठकें निर्धारित करें

- अपर डार्बी एल एण्ड आई डिपार्टमेंट
- अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट (अगर खाद्य पदार्थ बेच रहे हों या उनका व्यापार कर रहे हों)

कदम 2: ज़ोनिंग सम्बन्धी मंजूरी

ज़ोनिंग अनुपालन सम्बन्धी समीक्षा प्राप्त करें

- उपयोग एवं कब्जा प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करें

सम्पर्क करें

- अपर डार्बी एल एण्ड आई डिपार्टमेंट

कदम 3: अन्य मंजूरियां और रजिस्ट्रेशन

बिल्डिंग कोड सम्बधी मंजूरी

-बिल्डिंग परमिटों के लिए आवेदन करें

-निरीक्षण करायें

सम्पर्क करें

-अपर डार्बी एल एण्ड आई डिपार्टमेंट

हेल्थ कोड सम्बधी मंजूरी

(अगर खाद्य पदार्थ बेच रहे हों या उनका व्यापार कर रहे हों)

-खाद्य लाइसेंस के लिए आवेदन करें

-निरीक्षण करायें

सम्पर्क करें

-अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट

बिजनेस रजिस्ट्रेशन

-टैक्स के लिए रजिस्टर करायें

-लाइसेंसों के लिए आवेदन करें

सम्पर्क करें

-अपर डार्बी फाइनैंस डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू

अंतिम निरीक्षण करायें और मंजूरियां प्राप्त करें

सम्पर्क करें

- अपर डार्बी एल एण्ड आई डिपार्टमेंट
- अपर डार्बी फायर डिपार्टमेंट
- अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट (अगर खाद्य पदार्थ बेच रहे हों या उनका व्यापार कर रहे हों)

बिजनेस के लिए खुला है

<u>कदम 1: अपने बिजनेस की योजना बनाना</u>

इससे पहले कि आप शुरू करें

बिजनेस की बुनियादी परिचालन क्रियाओं के बारे में विचार करें:

- **अपने सम्भावी स्थान (लोकेशनों) की पहचान करें।** अगर आपका बिजनेस सही ज़ोन में स्थित नहीं है, तो ज़ोन सम्बन्धी बदलाव के लिए आपको अतिरिक्त समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा।
- **कानून की जानकारी प्राप्त करें।** बिजनेस की परिचालन क्रियाओं को, जिनमें टैक्स, कर्मचारी, और नियंत्रित पदार्थों, जैसे कि अल्कोहल या आग्नेय अस्त्रों, की बिक्री शामिल है, संघीय, राजकीय, और स्थानीय कानून विनियमित करते हैं।
- **अपनी साप्ताहिक आय और खर्चों का अनुमान लगायें।** परिचालन के पहले वर्ष के दौरान आप कितना धन कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे, इस बारे में मोटे तौर पर समझ लें।
- **बिजनेस प्लान तैयार करने के बारे में विचार करें।** बिजनेस प्लान के साथ आप ऋणों, अनुदानों, और दूसरे वित्तीय विकल्पों के लिए पात्र हो सकते हैं।
- **उपकरण सम्बन्धी स्रोतों का पता करें** और थोक विक्रेताओं के साथ सम्बन्ध विकसित करें।
- **बिजनेस के बीमा सम्बन्धी विकल्पों के बारे में ध्यानपूर्वक विचार करें** ताकि नुकसानों, अपराध, या आमदनी के नुकसान से बचा जा सके।

जैसे ही आप प्लान करें

इससे पहले कि आप अपने बिजनेस में निवेश करें या अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दें, अपर डार्बी टाउनशिप के स्टाफ से मुलाकात करें। एल एण्ड आई स्टाफ आपको ज़ोनिंग सम्बन्धी अधिनियमों को समझने और आपको अपना बिजनेस खोलने के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्रों, परमिटों, और लाइसेंसों की पहचान करने में मदद करेगा। अगर आपके बिजनेस में खाद्य पदार्थों को बेचा या उनका व्यापार किया जायेगा, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ खाद्य प्रतिष्ठान सम्बन्धी अधिनियमों को और आपको अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसे समझने में आपकी मदद करेगा।

<u>महत्वपूर्ण: अपर डार्बी की स्थान की पुष्टि कर लें</u>

कभी-कभी सम्पत्ति के डाक पते में दिया गया शहर का नाम <u>वही नहीं होता है</u> जो उस टाउनशिप या नगरपालिका का नाम है जहाँ पर बिजनेस भौतिक रूप से स्थित है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आपका नया बिजनेस वास्तव में अपर डार्बी की सीमाओं के अन्दर आता है, 610-734-7613 पर फोन करके अपर डार्बी टाउनशिप के एल एण्ड आई विभाग से पता कर लें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस टाउनशिप में आपका बिजनेस स्थित होगा वही टाउनशिप उन नियमों का निर्धारण करेगी जिनका आपको कानूनी रूप से अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए पालन करना आवश्यक होगा।

कदम 2: ज़ोनिंग सम्बन्धी मंजूरी

शुरुआत करना

अपर डार्बी में कोई बिजनेस संचालित करने के लिए, आपको उपयोग और कब्जा सम्बन्धी प्रमाणीकरण प्राप्त करने आवश्यक हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपने ज़ोनिंग सम्बन्धी मंजूरी (उपयोग) प्राप्त कर ली है और यह कि आपका बिजनेस बिल्डिंग कोड सम्बन्धी अधिनियमों (कब्जा) को पूरा करता है।

अपर डार्बी के एल एण्ड आई विभाग से उपयोग और कब्जा सम्बन्धी प्रमाणीकरण के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए, 610-734-7613 पर फोन करें। वे आपको न्यू बिजनेस एण्ड टेकओवर का एक आवेदन पैकेट देंगे उसमें उपयोग और कब्जा सम्बन्धी आवेदन और निम्नलिखित चीजें शामिल होंगी:

- उपयोग और कब्जे की मंजूरी पाने के लिए आवश्यक लाइसेंसों, परमिटों, और प्रमाण-पत्रों के बारे में सामान्य जानकारी
- इस बारे में सामान्य उपयोगी सुझाव कि आपके बिजनेस की सम्पत्ति के लिए बिल्डिंग कोड की क्या आवश्यकतायें हैं और किन चीजों का निरीक्षण किया जायेगा (जैसे कि निकास, रखरखाव, आग से बचाव, प्लम्बिंग, और इलेक्ट्रिकल, हीटिंग, या एयरकंडिशन प्रणालियां)

आप अपर डार्बी लाइसेंसिंग एण्ड इंसपेक्शन परमिट्स के पेज पर न्यू बिजनेस सम्बन्धी पैकेट ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट www.upperdarby.org/permits.html पर जायें और परमिट एप्लिकेशंस/बिजनेस परमिट्स के लिए नीचे की ओर स्क्रोल करें

ज़ोनिंग सम्बन्धी मंजूरी प्राप्त करना

जब आप अपने बिजनेस के लिए उपयोग सम्बन्धी प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करते हैं, तो आप यह पहचान करते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ पर स्थित होगा और आप क्या सामान और सेवायें बेचेंगे। आप सम्पत्ति में किये जाने वाले भौतिक बदलावों और कोई भी साइनबोर्ड लगाने या बदलने की योजना के बारे में भी बताते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल ज़ोनिंग अनुपालन समीक्षा के लिए किया जाता है।

ज़ोनिंग

युनाइटेड स्टेट्स में, निजी सम्पत्ति का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका विनियमन सरकार ज़ोनिंग नामक पद्धति के ज़रिये करती है। ज़ोनिंग, सम्पत्ति के "उपयोग" के नियम लागू करती है। उदाहरण के लिए, ज़ोनिंग बताती है कि क्या किसी सम्पत्ति का उपयोग किसी रेस्तरां, स्टोर, डे-केयर, सैलुन, घर या अन्य कार्य के रूप में किया जा सकता है। साथ ही साथ ज़ोनिंग आकार, बीच के निर्धारित फासले, और लॉट्स और बिल्डिंगों की अन्य विशेषताओं, तथा संकेतपट्ट व पार्किंग का भी नियमन करती है।

इससे पहले कि आप किसी सम्पत्ति या बिजनेस में निवेश करें अथवा उसे पट्टे पर लें, अपर डार्बी के एल एण्ड आई विभाग से यह पता कर लें कि क्या ज़ोनिंग कोड सम्पत्ति को उस प्रकार के बिजनेस के लिए उपयोग किये जाने की अनुमति देता है जिस प्रकार का बिजनेस संचालित करने की आपकी योजना है – भले ही उसी प्रकार का बिजनेस इस समय वहाँ पर किया जा रहा हो। अगर आप इस प्रक्रिया में जल्दी ही ज़ोनिंग मंजूरी प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपको अपने स्थान में वांछित प्रकार का बिजनेस खोलने में भविष्य में कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर आप ज़ोनिंग मंजूरी प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपको ज़ोनिंग सम्बन्धी बदलाव करने के लिए ज़ोनिंग बोर्ड ऑफ अपील के सामने पेश होना पड़ सकता है।

कदम 3: अन्य मंज़ूरियां और रजिस्ट्रेशन

सभी बिजनेसों के लिए – बिल्डिंग कोड सम्बन्धी मंज़ूरी प्राप्त करना

जब आप कब्जे के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आप अपने बिजनेस का फ्लोर प्लान और साथ ही भीतरी ले-आउट, भौतिक प्रणालियों, आग से बचाव की प्रणालियों, और साइन बोर्ड्स के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। अपर डार्बी के एल एण्ड आई डिपार्टमेंट का स्टाफ इस जानकारी का इस्तेमाल यह पहचानने के लिए करता है कि आपको कौनसे बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने की ज़रूरत होगी और एल एण्ड आई का स्टाफ कौनसे निरीक्षण करेगा।

बिल्डिंग परमिट और निरीक्षण

अगर आप बिजनेस की सम्पत्ति में कोई भौतिक बदलाव कर रहे हैं या बिल्डिंग को इस्तेमाल किये जाने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं, तो काम शुरू करने से पहले आपको बिल्डिंग परमिट्स के लिए आवेदन करना होगा। प्लम्बिंग का काम करने, दीवारों का या अन्य कोई निर्माण करने, और इलेक्ट्रिकल, हीटिंग, या एयर कंडिशनिंग प्रणालियों का काम करने के लिए अलग-अलग परमिट आवश्यक हैं। आपको किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से प्लान या ड्रॉइंग तैयार करवानी पड़ सकती हैं। काम के आगे बढ़ने के साथ-साथ एल एण्ड आई का स्टाफ निरीक्षण करेगा। परमिट सम्बन्धी आवेदनों या प्रश्नों के लिए, 610-734-7613 पर फोन करके एल एण्ड आई डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें।

अंतिम मंज़ूरी

इससे पहले कि आप बिजनेस खोलें, एल एण्ड आई का स्टाफ आपके नये बिजनेस का निरीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें बिल्डिंग कोड्स की शर्तों का पालन किया गया है। आग से बचाव की आपकी प्रणालियों को भी प्रमाणित किये जाने की ज़रूरत होगी। भले ही आपने कोई भी भौतिक बदलाव नहीं किये हों, तो भी खोले जाने से पहले आपके नये बिजनेस का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा।

बिल्डिंग प्लांस के बारे में एक टिप्पणी

अपने बिजनेस की जगह पर आपके द्वारा किये जाने वाले बदलावों के लिए आवश्यक बिल्डिंग प्लांस या ड्रॉइंग्स के प्रकार के बारे में पता करने के लिए निश्चित रूप से अपर डार्बी एल एण्ड आई (और अगर आप खाद्य पदार्थ बेच रहे हों या उनका व्यापार कर रहे हों, तो हेल्थ डिपार्टमेंट) से पता कर लें। हालांकि बड़े बदलावों के लिए किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से ड्रॉइंग तैयार करवाने की आवश्यकता होगी, लेकिन कुछ छोटे बदलावों के लिए प्रोफेशनल रूप से तैयार कराई गयी ड्रॉइंग्स आवश्यक नहीं होंगी।

हेल्थ कोड सम्बन्धी मंजूरी प्राप्त करना – केवल खाद्य पदार्थ बेचने या उनका व्यापार करने वाले बिजनेसों के लिए

ऐसे बिजनेस जिनमें खाद्य वस्तुएं बेची, परोसी, और/या तैयार की जाती हैं, "खाद्य प्रतिष्ठानों" के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं और उनको अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा लाइसेंसशुदा और मंजूरीशुदा होना चाहिये। हेल्थ डिपार्टमेंट टाउनशिप हेल्थ कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के व्यापार करने की प्रक्रियाओं और खाद्य प्रतिष्ठानों के निर्माण या बदलाव को विनियमित करता है। बिजनेस के लिए खुलने से पहले आपको क्या करना होगा यह जानने के लिए, 610-734-7640 पर फोन करके हेल्थ डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें।

निरीक्षण और मंजूरी प्रक्रिया के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट अपर डार्बी एल एण्ड आई डिपार्टमेंट (बिल्डिंग कोड के अनुपालन के लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट) के साथ मिल कर काम करता है।

जान लें कि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट खाद्य प्रतिष्ठान की गतिविधि के बहुत से पहलुओं को विनियमित करता है, जैसे कि:

- उपकरण का डिजाइन और उसको लगाना
- हवा की आवाजाही
- फर्श
- यूटिलिटी लाइंस
- छत का निर्माण
- पेय पदार्थ सम्बन्धी प्रणालियां
- कीट नियंत्रण
- प्रकाश व्यवस्था
- पानी और खराब चीजों का निकास
- रेस्ट-रूम और लॉकर सम्बन्धी सुविधायें
- पुनर्प्रयोग और रिसाइकिल की जाने योग्य वस्तुएं

अंतिम मंजूरी

आपके बिजनेस के खुल सकने से पहले, हेल्थ डिपार्टमेंट को अंतिम निरीक्षण कर लेने चाहियें और खाद्य सेवा प्रतिष्ठान को संचालित करने के लिए आपका लाइसेंस मंजूर कर दिया जाना चाहिये। खुलने से पहले आपके नये बिजनेस का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा, <u>भले ही आपने कोई भौतिक बदलाव नहीं किये हों।</u> बिजनेस खुल जाने के बाद, हेल्थ कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट बिना किसी निर्धारित क्रम के निरीक्षण करने जारी रखेगा।

<u>खाद्य प्रतिष्ठानों का विनियमन</u>

बीमारी को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अमेरिका में ऐसे बिजनेस, जिनमें खाद्य वस्तुएं बेची, परोसी, और/या तैयार की जाती हैं, अत्यंत विनियमित हैं। ऐसे बिजनेस जैसे कि ग्रोसरी, सुविधा स्टोर, मिनि-मार्ट, डेलि, रेस्तरां, कैफेटेरिया, और कैटरर सभी लाइसेंसशुदा होने चाहियें और उन्हें हेल्थ कोड सम्बन्धी अधिनियमों का पालन करना चाहिये। आप किस प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचने की योजना रखते हैं और इन खाद्य पदार्थों को किस प्रकार पैक किया जाता है, तैयार व भंडारित किया जाता है, परोसा जाता है, आदि पर निर्भर करते हुए ये अधिनियम जटिल हो सकते हैं। अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट (610-734-7640) यह समझने में आपकी मदद कर सकता है कि आपके विशिष्ट बिजनेस के लिए कौनसे अधिनियम लागू होते हैं और उनका अनुपालन करने के लिए आपको क्या करना आवश्यक होगा।

खाद्य पदार्थों की साफ-सफाई सम्बन्धी प्रबन्धक का प्रमाणीकरण

अधिकतर खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए सर्टिफाइड फूड सैनिटेशन मैनेजर (CFSM) के रूप में प्रमाणित एक पूर्णकालिक कर्मचारी रखना आवश्यक है। इस कर्मचारी को एक अनुमोदित खाद्य सुरक्षा एवं प्रमाणीकरण कोर्स (विशेष रूप से 16 घंटों की अवधि का) पूरा करना चाहिये। प्रमाणित कर्मचारी को पूरे परिचालन समय के दौरान आपके बिजनेस पर मौजूद रहना ज़रूरी नहीं है।

अपने बिजनेस के लिए CFSM सम्बन्धी आवश्यकताओं के विषय पर और अधिक जानकारी के लिए अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से 610-734-7640 पर सम्पर्क करें। वे आपको अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में चलाये जाने वाले अनुमोदित प्रमाणीकरण कोर्सों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना – सभी बिजनेसों के लिए

अपर डार्बी में बिजनेस चलाने के लिए, आपको अपने नये बिजनेस को अपर डार्बी फाइनैंस डिपार्टमेंट के यहाँ रजिस्टर कराना चाहिये और बिजनेस विशेषाधिकार (प्रिविलेज) लाइसेंस प्राप्त करना चाहिये। इस लाइसेंस का हर वर्ष नवीनीकरण कराया जाना चाहिये। आवेदन के लिए 601-734-7618 पर फोन करके फाइनैंस डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें, या वेबसाइट www.upperdarby.org/finance.html पर जायें (सर्विस टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करें, फिर अन्य स्थानीय टैक्सों के लिए नीचे की ओर स्क्रोल करें)।

फाइनैंस डिपार्टमेंट उन स्थानीय टैक्सों को, जिनका आपको अपने बिजनेस के लिए भुगतान करना ज़रूरी होगा, को समझने में भी आपकी मदद कर सकता है। फाइनैंस डिपार्टमेंट 100 Garrett Road, Room 201, Upper Darby, PA 19082 पर स्थित है।

आपको अपनी नयी बिजनेस संस्था और बिजनेस के नाम को पेनसिलवैनिया राज्य के यहाँ भी रजिस्टर कराना चाहिये और सेल्स टैक्स लाइसेंस प्राप्त करना चाहिये। इसके लिए आवश्यक फॉर्म प्राप्त करने के लिए, 610-619-8018 या 717-787-1064 पर फोन करके पेनसिलवैनिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यु से सम्पर्क करें या पेनसिलवैनिया ओपन फॉर बिजनेस वेबसाइट: www.paopen4business.state.pa.us पर जायें।

अगर आप कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की योजना रखते हैं, तो आपको यू.एस. इंटरनल रेवेन्यु सर्विस (IRS) से एक नियोक्ता पहचान नम्बर (एम्पलॉयर आइडेंटिफिकेशन नम्बर - EIN) प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र के लिए 800-829-4933 पर IRS को फोन करें या www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=102767,00.html पर ऑनलाइन आवेदन करें।

नियोक्ता के रूप में आपके टैक्स सम्बन्धी दायित्व भी होंगे जैसे कि टैक्स वसूलना और बेरोजगारी मुआवज़ा। इस बारे में और अधिक जानने और आवश्यक फॉर्म प्राप्त करने के लिए, 610-619-8018 या 717-787-1064 पर फोन करके पेनसिलवैनिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यु से सम्पर्क करें या पेनसिलवैनिया ओपन फॉर बिजनेस वेबसाइट: www.paopen4business.state.pa.us पर जायें।

<u>अतिरिक्त जानकारी</u>

लाइसेंस, टैक्स, और प्रमाणीकरण

<u>ध्यान रखें:</u> इन लागतों में भविष्य में बदलाव हो सकता है।

बिल्डिंग परमिट – फीस अलग-अलग हैं
अगर आप सम्पत्ति में बदलाव कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है। फीस सामान्यतया किये जाने वाले काम की लागत पर आधारित होती है। 610-734-7613 पर फोन करके अपर डार्बी एल एण्ड आई डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें।

बिजनेस प्रिविलेज/मर्कैंटाइल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस – फीस के लिए टाउनशिप से पता करें
यह आपको अपर डार्बी में बिजनेस करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका हर वर्ष नवीनीकरण कराया जाना चाहिये। 610-734-7618 पर फोन करके अपर डार्बी फाइनैंस डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें।

बिजनेस प्रिविलेज/मर्कैंटाइल टैक्स - फीस अलग-अलग हैं
यह बिजनेस की सकल आय पर लगने वाला एक अपर डार्बी टैक्स है। बिजनेस टैक्सों के बारे में और अधिक जानकारी 610-734-7618 पर फोन करके अपर डार्बी फाइनैंस डिपार्टमेंट से प्राप्त करें।

राजकीय टैक्स लाइसेंस – कोई फीस नहीं
अधिकतर खुदरा बिजनेसों के लिए पेनसिलवैनिया सेल्स टैक्स लाइसेंस आवश्यक है। और अधिक जानकारी के लिए, 610-619-8018 या 717-787-1064 पर फोन करके पेनसिलवैनिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यु से सम्पर्क करें।

उपयोग और कब्जा सम्बन्धी प्रमाणीकरण - फीस के लिए टाउनशिप से पता करें
सभी बिजनेसों के पास अपर डार्बी टाउनशिप से जारी उपयोग और कब्जा सम्बन्धी प्रमाणपत्र होने चाहियें।
610-734-7613 पर फोन करके अपर डार्बी एल एण्ड आई डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें।

खाद्य प्रतिष्ठान सम्बन्धी लाइसेंस (अगर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं या उनका व्यापार किया जा रहा है) - फीस के लिए टाउनशिप से पता करें। अगर आप खाद्य पदार्थ बेचते, परोसते, और/या तैयार करते हैं, तो आपके लिए अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से खाद्य प्रतिष्ठान सम्बन्धी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आपके लिए आवश्यक लाइसेंस का प्रकार खाद्य सेवा बिजनेस के उस प्रकार पर निर्भर करेगा जिसे चलाने की आपकी योजना है। लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए, 610-734-7640 पर फोन करके हेल्थ डिपार्टमेंट से सम्पर्क करें।

खाद्य सुरक्षा / साफ-सफाई सम्बन्धी कोर्स का प्रमाणीकरण
(अगर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं या उनका व्यापार किया जा रहा है) -
अगर आप खाद्य पदार्थ बेचते, परोसते, और/या तैयार करते हैं, तो आपके लिए सर्टिफाइड फूड सैनिटेशन मैनेजर (CFSM) के रूप में प्रमाणित एक पूर्णकालिक कर्मचारी रखना आवश्यक हो सकता है। आपके बिजनेस के लिए क्या आवश्यक है और अंग्रेज़ी व अन्य भाषाओं में चलाये जाने वाले प्रमाणीकरण कोर्सों के बारे में आप 610-734-7640 पर अपर डार्बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य लाइसेंस या प्रमाणीकरण - फीस अलग-अलग हैं
आप जो इंडस्ट्री या जिस प्रकार का बिजनेस खोल रखे हैं उस पर निर्भर करते हुए, आपको या आपके कर्मचारियों को राज्य अथवा काउंटी से अन्य लाइसेंस या प्रमाणीकरण प्राप्त करने ज़रूरी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्यूटी सैलुनों को लाइसेंस पेनसिलवैनिया राज्य द्वारा जारी किये जाते हैं।

फीस

परमिट, लाइसेंस, और प्रमाणीकरण हेतु किये जाने वाले प्रत्येक आवेदन के लिए सम्भवतया आपको फीस अदा करनी आवश्यक होती है। फीस परमिट के प्रकार, आवश्यक निरीक्षणों की संख्या, और/या आपके द्वारा प्रस्तावित भौतिक बदलावों की लागत पर निर्भर होती है। अगर आप कोई खाद्य प्रतिष्ठान खोलते हैं या ज़ोनिंग सम्बन्धी कोई बदलाव चाहते हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त फीस हैं।